मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-1

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 26, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के गायन से प्रारम्भ हुई.

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 16 जुलाई, 2006 को सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006)	1 घन्टा
5.	वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घन्टे

मध्यप्रदेश विधानसभा की स्वर्ण जयंती वर्ष की पावन बेला में समस्त माननीय सदस्यों के अनुरोध पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विधानसभा के समवेत सदस्यों को उद्बोधन देने की महती कृपा की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में वह सदन में सम्बोधित करेंगे।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी के सदन में उद्बोधन के पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ माननीय सदस्यों का समूह छाया चित्रांकन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन समाप्ति के तुरंत पश्चात् समूह छाया चित्रांकन हेतु विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-2 के सामने कुंड के समीप उपस्थित होने का कष्ट करें।

आज दोपहर भोज का आयोजन विधानसभा परिसर में मेरी ओर से किया गया है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दोपहर 12.45 बजे आयोजित भोज में सम्मिलित होने का कष्ट करें तथा विधानसभा परिसर में ही आयोजित रात्रि भोज में भी आप सभी माननीय सदस्यगण एवं पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं।

4. समवेत सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सदन में उद्बोधन हेतु प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि - मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पचासवें वर्ष में राज्य स्तर पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस सदन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर हम सब सहभागी हैं। मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 17 जुलाई, 2006 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के समवेत सदस्यों को उद्बोधन से इन कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है।

इन ऐतिहासिक क्षणों को और गरिमामय बनाने के लिए आप सबके अनुरोध पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस सदन में आकर संबोधन देने के लिए अपनी महती कृपा की है। वे इस हेतु यहां सदन में पधारने वाले हैं। अत: इस संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271-ख को शिथिल करते हुए आज महामहिम राष्ट्रपति के उद्बोधन का कार्यक्रम सदन में आयोजित किया जा रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्‌बोधन कार्यक्रम के पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2006 को प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

मैं समझता हूँ सदन इस प्रस्ताव से सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5. महामहिम राष्ट्रपति का उद्‌बोधन

महामहिम राष्ट्रपति महोदय का चल समारोह के साथ सदन में आगमन हुआ ।

महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में अध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरदास रोहाणी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, महामहिम राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ ने अपने-अपने उद्‌गार व्यक्त किये तत्पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा सदन में अपना उद्‌बोधन दिया गया। आभार प्रदर्शन डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने किया।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय का चल समारोह के साथ सदन से प्रस्थान हुआ ।

12 बजकर 30 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 27, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.